छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

आपराधिक पुनरीक्षण क्रमांक 721/2018

आदेश सुरक्षित दिनांक: 13.11.2018

आदेश पारित दिनांक: 8.2.2019

अजय कुमार कवरे, पिता यामा कवरे, आयु लगभग 52 वर्ष, निवासी प्लॉट नंबर 14, महावीर नगर, धरमपुरा, जगदलपुर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़

---- आवेदक

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य, स्टेशन हाउस अधिकारी, भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो, इकाई बस्तर संभाग, जगदलपुर, छत्तीसगढ़

---- प्रत्यर्थी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आवेदक की ओर से: श्री सतीश चंद्र वर्मा, श्री पीयूष भाटिया और श्री हर्ष पगारिया, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से: श्री संघर्ष पांडे, उप शासकीय अधिवक्ता

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल

सी.ए.वी. आदेश

1. प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका उस आदेश दिनांक 5.6.2018 के विरुद्ध दायर की गई है, जो कि विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत), दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा द्वारा विशेष प्रकरण क्रमांक 1/2018 में पारित किया गया, जिसके तहत विशेष न्यायाधीश ने आवेदक द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के तहत प्रस्तुत आवेदन को अस्वीकार कर दिया है।

2. अभियोजन का संक्षिप्त विवरण यह है कि संबंधित समय में आवेदक छत्तीसगढ़ सरकार के वन विभाग में रेंज अधिकारी के रूप में जिला सुकमा, सुकमा में कार्यरत थे।
दिनांक 17.7.2015 को भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो के एक निरीक्षक द्वारा आवेदक के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसी एक्ट) की धारा 13(1)(ई) और 13(2) के तहत

दंडनीय अपराध के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की गई। इसके बाद, उन्होंने जगदलपुर स्थित आवेदक के मकान की तलाशी के लिए वारंट प्राप्त किया। दिनांक 20.7.2015 को तलाशी अभियान संचालित किया गया। तलाशी के दौरान ऐसी संपत्तियाँ भी जप्त की गईं जो आवेदक की नहीं थीं और जो विशेष रूप से उनकी पत्नी के कब्जे में थीं। इस दौरान, प्रत्यर्थी ने अपनी वैधानिक सीमा का अतिक्रमण करते हुए अन्य व्यक्तियों की निजी संपत्तियों को भी जप्त कर लिया, जिसमें एक प्रवीन मसीह भी शामिल थे, जो आवेदक के दूर के रिश्तेदार और स्वतंत्र व्यवसायी हैं। दिनांक 4.9.2015 को एक पत्र के माध्यम से प्रत्यर्थी ने पहली बार आवेदक से उसकी संपत्तियों का विवरण प्रस्तुत करने को कहा। उक्त पत्र में कोई जाँच अवधि का उल्लेख नहीं किया गया था, जिससे आवेदक भ्रमित और असहाय हो गया कि किस विवरण को प्रस्तुत किया जाए। आवेदक प्रत्यर्थी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए उचित जानकारी एकत्र कर रहा था, लेकिन प्रत्यर्थी ने बिना ऐसी जानकारी/विवरण/व्याख्या की प्रतीक्षा किए, सीधे अभियोजन की स्वीकृति के लिए धारा 19 पीसी एक्ट के तहत आदेश जारी करने हेतु स्वीकृत प्राधिकारी के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। जब आवेदक ने प्रत्यर्थी के समक्ष प्रपत्र क्रमांक 1, 2 और 3 में विवरण/जानकारी/व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास किया, तो प्रत्यर्थी ने यह कहते हुए उसे अस्वीकार कर दिया कि आवेदक के विरुद्ध जाँच पूरी हो चुकी है। इस कारण आवेदक को दिनांक 26.5.2016 को अनुमोदन प्राधिकारी के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होना पड़ा। अनुमोदन प्राधिकारी अर्थात् विधि एवं विधायी कार्य विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार, रायपुर ने अभियोजन हेतु दिनांक 15.11.2016 को आदेश जारी कर स्वीकृति प्रदान की। आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका (आपराधिक) क्रमांक 331/2016 दायर की गई। उक्त रिट याचिका में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 24.8.2017 को पारित आदेश के अनुसार, न्यायालय ने प्रत्यर्थी को निर्देश दिया कि वह आरोप पत्र या अंतिम प्रतिवेदन दाखिल करने से पूर्व आवेदक द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों और स्पष्टीकरणों पर विचार करे। इसके पश्चात, न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए आवेदक ने एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। प्रत्यर्थी ने न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया और न ही आवेदक द्वारा प्रस्तुत उन दस्तावेजों पर विचार किया, जिनमें उसकी पत्नी और दूरस्थ संबंधियों की स्वतंत्र आय से संबंधित जानकारी दी गई थी। प्रत्यर्थी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत नवीन स्वीकृति प्राप्त करने का भी प्रयास नहीं किया और बिना स्वीकृति प्राप्त किए ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत अंतिम प्रतिवेदन विशेष न्यायाधीश के समक्ष दिनांक 24.1.2018 को प्रस्तुत कर दिया। स्वीकृति आदेश के अंतिम और पुनरावलोकनाधीन होने के तथ्य पर विचार किए बिना, विशेष न्यायाधीश ने संज्ञान लिया और परीक्षण प्रारंभ कर किया इसके पश्चात, आवेदक ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे विशेष न्यायाधीश ने दिनांक 5.6.2018 को पारित आक्षेपित आदेश द्वारा अस्वीकार कर दिया। अतः यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब में यह कहा गया है कि विशेष न्यायाधीश द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत पारित आदेश एक अंतरिम आदेश है, अतः यह

पुनरीक्षण याचिका विचारणीय नहीं है। प्रत्यर्थी ने आगे कहा है कि आवेदक ने यह विशेष रूप से नहीं बताया कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति आदेश की समीक्षा न करने से उसे क्या पूर्वाग्रह हुआ है, क्योंकि दिनांक 24.8.2017 को इस न्यायालय द्वारा रिट याचिका (आपराधिक) क्रमांक 331/2016 में पारित आदेश के अनुसार की गई जांच में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। प्रत्यर्थी ने अपने जवाब में आगे यह भी कहा है कि न्यायालय के आदेश दिनांक 24.8.2017 के बाद आवेदक ने दिनांक 26.8.2017 को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। अभ्यावेदन प्राप्त होने के पश्चात , प्रत्यर्थी ने बिना किसी विलंब के अभ्यावेदन पर विचार किया और आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का भी परीक्षण किया। तत्पश्चात, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 के तहत संबंधित प्राधिकारियों को नोटिस जारी कर आवेदक के दस्तावेजों का विवरण प्रस्तुत करने हेतु रिपोर्ट मंगाई। प्रत्यर्थी ने संबंधित वन मंडल अधिकारियों (D.F.O.), एल.आई.सी. शाखा प्रबंधक, बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के शाखा प्रबंधक , आवेदक की पत्नी श्रीमती लक्ष्मी कवरे , सोसाइटी प्रबंधक, संबंधित तहसीलदार, उप-पंजीयक, जगदलपुर आदि से रिपोर्ट प्राप्त की। जाँच में यह पाया गया कि आवेदक द्वारा अपनी पत्नी और दूर के रिश्तेदार प्रवीन मसीह की संपत्तियों के संबंध में दी गई जानकारी संतोषजनक और स्वीकार्य नहीं पाई गई। इसके बाद, आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया गया। चूंकि सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति पहले ही प्रदान की जा चुकी है, इसलिए नवीन स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार, विशेष न्यायाधीश द्वारा दिनांक 5.6.2018 को पारित आक्षेपित आदेश विधि के अनुसार है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता दलीलों को सुना है और उपलब्ध सामग्री का सूक्ष्मता से परीक्षण किया है।

5. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 इस प्रकार है:

धारा 19 – अभियोजन के लिए पूर्व स्वीकृति आवश्यक

(1) कोई भी न्यायालय, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 में अन्यथा उपबंधित न हो, तब तक किसी भी ऐसे अपराध का संज्ञान नहीं लेगा जो निम्नलिखित धाराओं के तहत दंडनीय हो – धारा 7, 10, 11, 13 और 15 – जिसे किसी लोक सेवक द्वारा किया गया होने का आरोप हो, जब तक कि पूर्व स्वीकृति प्राप्त न हो:

(क)ऐसे व्यक्ति के मामले में जो केंद्र सरकार के कार्यों से संबंधित सेवा में हो और जिसे केवल केंद्र सरकार की स्वीकृति से या उसके द्वारा पद से हटाया जा सके, उस सरकार की स्वीकृति।

(ख) से व्यक्ति के मामले में जो राज्य सरकार के कार्यों से संबंधित सेवा में हो और जिसे केवल राज्य सरकार की स्वीकृति से या उसके द्वारा पद से हटाया जा सके, उस सरकार की स्वीकृति।

(ग) किसी अन्य व्यक्ति के मामले में, उस प्राधिकरण की स्वीकृति जो उसे पद से हटाने के लिए सक्षम हो।

(2) यदि किसी भी कारण से इस बात पर संदेह उत्पन्न होता है कि उपधारा (1) के तहत आवश्यक पूर्व स्वीकृति केंद्र सरकार , राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा दी जानी चाहिए , तो वह स्वीकृति उस सरकार या प्राधिकारी द्वारा दी जाएगी जो उस समय लोक सेवक को उसके पद से हटाने के लिए सक्षम होती जब अपराध किए जाने का आरोप लगाया गया हो।

(3) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) में निहित किसी भी बात के बावजूद,—

(क) किसी विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित कोई भी निर्णय, दंड या आदेश किसी अपील, पुष्टि या पुनरीक्षण में केवल इस आधार पर निरस्त या परिवर्तित नहीं किया जाएगा कि उपधारा (1) के तहत आवश्यक स्वीकृति का अभाव है या स्वीकृति में कोई त्रुटि , चूक या अनियमितता है, जब तक कि उस न्यायालय की राय में वास्तव में न्याय का अभाव उत्पन्न न हुआ हो।

(ख) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के तहत कार्यवाही को इस आधार पर स्थगित नहीं करेगा कि स्वीकृति देने में कोई त्रुटि , चूक या अनियमितता हुई है, जब तक कि वह संतुष्ट न हो जाए कि ऐसी त्रुटि , चूक या अनियमितता के कारण न्याय का अभाव उत्पन्न हुआ है।

(ग) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के तहत कार्यवाही को किसी अन्य आधार पर स्थगित नहीं करेगा और न ही किसी जांच , विचारण, अपील या अन्य कार्यवाही में पारित किसी अंतरिम आदेश के संबंध में पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(4) उपधारा (3) के तहत यह निर्धारित करते समय कि ऐसी स्वीकृति के अभाव या उसमें हुई त्रुटि, चूक या अनियमितता के कारण न्याय का अभाव उत्पन्न हुआ है या नहीं, न्यायालय इस तथ्य पर विचार करेगा कि क्या आपत्ति को कार्यवाही के किसी पूर्व चरण में उठाया जा सकता था और उठाया जाना चाहिए था।

व्याख्या—इस धारा के उद्देश्यों के लिए—

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(क) "त्रुटि" में स्वीकृति देने वाली प्राधिकरण की क्षमता भी शामिल है।

(ख) अभियोजन के लिए आवश्यक स्वीकृति में यह भी शामिल है कि अभियोजन किसी निर्दिष्ट प्राधिकारी की पहल पर हो या किसी निर्दिष्ट व्यक्ति की स्वीकृति के साथ हो या इसी प्रकार की किसी अन्य आवश्यकता के साथ हो।

6. माननीय सुप्रीम कोर्ट ने **प्रकाश सिंह बादल बनाम पंजाब राज्य, (2007) 1** SCC **1** में अभियोजन के स्वीकृति से संबंधित मुद्दे पर विचार करते हुए निम्नलिखित टिप्पणियाँ की:

"29. अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (3) और (4) का प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। उपधारा (3) में "न्याय की विफलता"और "न्यायालय की राय" में जोर दिया गया है । उपधारा (4) में उचित समय पर याचिका उठाने पर जोर दिया गया है। महत्वपूर्ण रूप से, "न्याय की विफलता" का संबंध स्वीकृति में त्रुटि, चूक या अनियमितता से है। अतः केवल स्वीकृति में त्रुटि, चूक या अनियमितता को घातक नहीं माना जाएगा जब तक कि इससे न्याय में वास्तविक विफलता उत्पन्न न हो या उससे ऐसा परिणाम न निकला हो। धारा 19(1) एक प्रक्रियात्मक प्रावधान है और यह अधिकार क्षेत्र की जड़ में नहीं जाती है, जैसा कि पी.वी. नरसिम्हा राव बनाम राज्य (CBI/SPE), (1998) 4 SCC 626 के पैरा 95 में स्पष्ट किया गया है। धारा 19(3)(ग) अभियोजन में निषेध की कठोरता को कम करती है।पुराने अधिनियम की धारा 6(2) [अधिनियम की धारा 19(2)] में प्रश्न स्वीकृति प्रदान करने के अधिकार में संदेह से संबंधित है, न कि यह कि स्वीकृति आवश्यक है या नहीं।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आगे निम्नलिखित अवलोकन किया गया:

"47. स्वीकृति देने वाली प्राधिकारी को अभियुक्त लोक सेवक के खिलाफ प्रत्येक अपराध को पृथक रूप से निर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। यह कार्य आरोप निर्धारण के चरण में किया जाना आवश्यक है। कानून यह अपेक्षा करता है कि स्वीकृति देने वाली प्राधिकारी के समक्ष ऐसे सामग्री प्रस्तुत की जाए ताकि वह अपना मस्तिष्क प्रयोग कर निर्णय ले सके। मस्तिष्क का प्रयोग हुआ है या नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और इस संबंध में कोई सामान्यीकृत दिशा-निर्देश नहीं हो सकते।"

7. वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त अवलोकनों के प्रकाश में परीक्षण करने पर यह स्पष्ट होता है कि अभियोजन हेतु स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से 15.11.2016 को प्राप्त की गई थी और आरोप-पत्र 24.1.2018 को प्रस्तुत किया गया, अर्थात् स्वीकृति आदेश जारी होने की तिथि से लगभग 1 वर्ष और 2 महीने के पश्चात्। आरोप-पत्र दाखिल करने से पूर्व, दिनांक 24.8.2017 को, उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (आपराधिक) क्रमांक 331/2016 में पारित आदेश के अनुसार, उत्तरदाता/भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को निर्देश दिया गया था कि अभियुक्त द्वारा उनके मामले के समर्थन में प्रस्तुत

सभी दस्तावेजों और दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात ही आरोप-पत्र या अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने का निर्णय लिया जाए। उत्तरदाता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत उत्तर से भी यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24.8.2017 को रिट याचिका (आपराधिक) क्रमांक 331/2016 में पारित आदेश के पश्चात, अभियुक्त ने अपना प्रतिवेदन 26.8.2017 को प्रस्तुत किया। अभियुक्त के प्रतिवेदन की प्राप्ति पर, उत्तरदाता ने न केवल उक्त प्रतिवेदन पर विचार किया, बल्कि उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर भी विचार किया। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर, अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत फॉर्म संख्या 1, 2 और 3 से संबंधित जानकारी/रिपोर्ट संबंधित प्राधिकारियों से एकत्रित की गई, लेकिन वह जानकारी उत्तरदाता के अनुसार संतोषजनक और स्वीकार्य नहीं पाई गई। उपलब्ध सामग्री का अवलोकन, जिसमें उत्तरदाता का उत्तर भी शामिल है , यह दर्शाता है कि अभियुक्त के अभियोजन के लिए 15.11.2016 को स्वीकृति आदेश प्राप्त करने के पश्चात्, मामले में अंतिम रिपोर्ट 24.1.2018 को प्रस्तुत की गई। इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सामग्री से स्पष्ट होता है कि 15.11.2016 के पश्चात्, अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले मामले में आगे की /पुनः जांच भी की गई, लेकिन इस पुनः जांच से उत्पन्न तथ्य और परिस्थितियाँ जांच एजेंसी द्वारा अनुमोदन प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गईं। अतः, दिनांक 15.11.2016 का स्वीकृति आदेश यह नहीं कहा जा सकता कि यह पूरे मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखकर दी गई स्वीकृति है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि 15.11.2016 को प्राप्त अभियोजन स्वीकृति सक्षम स्वीकृति नहीं है। जाँच एजेंसी द्वारा पुनः जाँच के पश्चात् उत्पन्न तथ्यों को अनुमोदन प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए बिना अंतिम रिपोर्ट दाखिल करना, अभियुक्त के लिए गंभीर पूर्वाग्रह का कारण बना है और मेरी विचारशील राय में, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19(3)(क) के तहत न्याय की विफलता हुई है। अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने से पहले , जाँच एजेंसी को पूरे मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर अभियोजन के लिए नई स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. उत्तरदाता द्वारा आपत्ति उठाई गई है कि विशेष न्यायाधीश द्वारा दिनांक 5.6.2018 को पारित विवादित आदेश एक अंतरिम आदेश है, अतः वर्तमान पुनरीक्षण स्वीकार्य नहीं है। चूंकि इस न्यायालय ने उपरोक्त रूप में यह माना है कि अभियुक्त द्वारा अभियोजन के लिए नई स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है, अतः वर्तमान विचाराधीन मुकदमा अभियुक्त के विरुद्ध आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसलिए, उत्तरदाता द्वारा उठाई गई आपत्ति स्वीकार करने योग्य नहीं है।

9. परिणामस्वरूप, विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 5.6.2018 को पारित विवादित आदेश को निरस्त किया जाता है। अन्वेषण एजेंसी को मामले के समस्त तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर अभियोजन हेतु नई स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। विशेष न्यायाधीश नई स्वीकृति आदेश दायर होने पर अपराध का संज्ञान लेंगे।

10. पुनरीक्षण उपरोक्त शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है।

हस्ताक्षरित/-

(अरविंद सिंह चंदेल)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur